File No. BES2-8/237544/2024 BE5238 2024-3/XXIV-A-2 Basic Education Department (Computer No. 69702)
/237544/2024

संख्याः 410 /XXIV-A-2/2024-25/2007 टी.सी. (E-69702)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः05 सितम्बर, 2024**

विषयः–पी0एम0 पोषण योजना के अंतर्गत पोषक मानकों के सुधार हेतु मैटेरियल कॉस्ट की न्यून दरों की वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–रा0प0का0/888/पी0एम0पोषण/02/2023–24 दिनांक 08 फरवरी, 2024 एवं संख्या–रा0प0का0/210/पी0एम0पोषण/02/2024–25 दिनांक 06 अगस्त, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पी0एम0 पोषण योजना के अंतर्गत पोषक मानकों के सुधार हेतु मैटेरियल कॉस्ट की न्यून दरों की वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में अवगत कराना हे कि भारत सरकार के पत्र संख्या F.No.I-3/2021-DESK(MDM)-Part(2) दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 द्वारा कुकिंग कॉस्ट की प्राथमिक स्तर पर रू0 5.45 एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर रू0 8.17 निर्धारित की गई है।

3. उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0 पोषण योजना के अंतर्गत पोषक मानकों के सुधार हेतु मैटेरियल कॉस्ट की दरों को नियमानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र.सं.	स्तर	वर्तमान निर्धारित दर	संशोधित दर
1.	प्राथमिक	5.45	6.23
2.	उच्च प्राथमिक	8.17	9.34

4. उक्त पी0एम0 पोषण योजना के अंतर्गत पोषक मानकों के सुधार हेतु मैटेरियल कॉस्ट की न्यून दरों की वृद्धि हेतु उक्त नवीन प्रस्तावित दरे तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

5. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक–236808/2024 दिनांक 03.09.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
Signed by Madan Mohan Semwal
Date: 05-09-2024 10:50:58
(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।